सबसे पहले
लाइफ इंश्योरेंस

आपके उज्ज्वल भविष्य की कुंजी
गारंटीड

एलआईसी की
बीमा ज्योति

Plan No.: 860 UIN: 512N339V01

(एक नॉन–लिंक्ड, असहभागी,
व्यक्तिगत, बचत योजना)

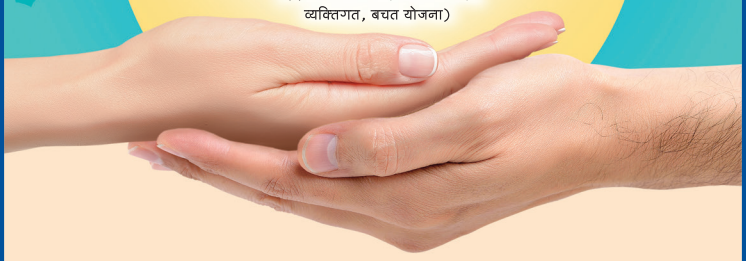

प्रति वर्ष गारंटीकृत वृद्धि* प्राप्त करें

** गारंटीकृत वृद्धि @ ₹ 50/- प्रति हजार मूल बीमाधन परिपक्वता / मृत्यु तक प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में चालू पॉलिसी में जोड़ा जायेगा।*

अधिक जानकारी के लिए, अपने अभिकर्ता/निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें या www.licindia.in देखें या एसएमएस करें शहर का नाम 56767474 पर

हमें यहाँ फॉलो करें: YouTube LIC India Forever

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

LIC/PRA/20-21/25/Hin/SB

एलआईसी की बीमा ज्योति (UIN: 512N339V01)
(एक नॉन लिंक्ड, असहभागी, व्यक्तिगत, बचत योजना)

एलआईसी की बीमा ज्योति एक **नॉन लिंक्ड, असहभागी, व्यक्तिगत, बचत योजना है,** जो सुरक्षा और बचत, दोनों का आकर्षक संयोजन प्रदान करती है। यह योजना पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है और परिपक्वता के समय पर पॉलिसीधारक की उत्तरजीविता होने पर गारंटीकृत एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। **इस योजना को अभिकर्ता/अन्य मध्यस्थों के माध्यम से ऑफलाइन और साथ ही वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से सीधे ऑनलाइन रूप में भी खरीदा जा सकता है।**

1. एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभ (जहाँ सभी बकाया प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो):

क. मृत्यु लाभ:

(i) जोखिम प्रारंभ होने की तिथि से पहले पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु होने पर।

भुगतान की गई प्रीमियमों की वापसी, कर, अतिरिक्त प्रीमियम एवं अनुवृद्धि प्रीमियम(मों), यदि कोई हों, को छोड़कर।

(ii) जोखिम प्रारंभ होने की तिथि के बाद पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु होने पर।

''मृत्यु पर बीमा राशि'' एवं संचित गारंटीड अनुवृद्धियाँ। जहाँ **''मृत्यु पर बीमा राशि''** मूल बीमा राशि के 125% या वार्षिक प्रीमियम के 7 गुना में से जो भी अधिक हो, के रूप में परिभाषित है।

उपरोक्त क (ii) में उल्लेखित अनुसार मृत्यु लाभ मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम (कोई अतिरिक्त प्रीमियम, कोई अनुवृद्धि प्रीमियम(में) एवं कर शामिल नहीं) के 105% से कम नहीं होगा।

ख. परिपक्वता लाभ:

परिपक्वता की नियत तिथि तक बीमित व्यक्ति के उत्तरजीवित रहने पर, बशर्ते पॉलिसी चालू हो, **''परिपक्वता पर बीमा राशि''** गारंटीड अनुवृद्धियों के साथ देय होगी। जहाँ **''परिपक्वता पर बीमा राशि''** मूल बीमा राशि के बराबर है।

ग. गारंटीड अनुवृद्धियाँ:

बशर्ते कि बकाया प्रीमियमों के भुगतान द्वारा पॉलिसी चालू हो, रु. 50 प्रति हजार मूल बीमा राशि की दर से गारंटीड अनुवृद्धियाँ प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में पॉलिसी में जोड़ी जाएँगी। चालू पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु के वर्ष में गारंटीड अनुवृद्धि पूर्ण पॉलिसी वर्ष के लिए होगी। प्रीमियमों का उपयुक्त रूप से भुगतान नहीं होने की स्थिति में, पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीड अनुवृद्धियाँ संचित होना स्थगित हो जाएँगी।

कोई प्रदत्त पॉलिसी होने या किसी पॉलिसी का अभ्यर्पण होने की स्थिति में, उस पॉलिसी वर्ष, जिसमें अंतिम प्रीमियम प्राप्त हुई है, के लिए गारंटीड अनुवृद्धि को उस वर्ष के लिए प्राप्त प्रीमियम के अनुपात में आनुपातिक आधार पर जोड़ा जाएगा।

2. पात्रता की शर्तें एवं अन्य प्रतिबंध:

क)	न्यूनतम मूल बीमाकृत राशि	: रु. 100,000
ख)	अधिकतम मूल बीमाकृत राशि (मूल बीमाकृत राशि रु. 25,000/– के गुणज में होगी)	: कोई सीमा नहीं
ग)	पॉलिसी अवधि	: 15 से 20 वर्ष
घ)	प्रीमियम भुगतान अवधि	: पॉलिसी अवधि में से 5 वर्ष घटाकर
ङ)	प्रवेश पर न्यूनतम आयु	: 90 दिन पूर्णकृत
च)	प्रवेश पर अधिकतम आयु	: 60 वर्ष (आयु निकटतम जन्मदिन)
छ)	परिपक्वता पर न्यूनतम आयु	: 18 वर्ष (पूर्णकृत)
ज)	परिपक्वता पर अधिकतम आयु	: 75 वर्ष (आयु निकटतम जन्मदिन)

पीओएसपी–एलआई के माध्यम से ली गई पॉलिसियों के लिए 65 वर्ष (आयु निकटतम जन्मदिन)

जोखिम प्रारंभ होने की तिथि:

प्रवेश पर बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से कम होने की स्थिति में, इस योजना के अंतर्गत जोखिम या तो प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष, या फिर 8 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद या उसके तुरंत बाद होने वाली पॉलिसी वर्षगाँठ से, जो भी पहले हो, प्रारंभ होगा। 8 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के लिए, जोखिम तुरंत प्रारंभ हो जाएगा।

निहित होने की तिथि:

यदि इस पॉलिसी को किसी नाबालिग के जीवन पर जारी किया जाता है, तो यह पॉलिसी 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद या उसके तुरंत बाद होने वाली पॉलिसी वर्षगाँठ पर जीवन बीमित पर स्वत: निहित हो जाएगी और ऐसे निहित होने को निगम एवं बीमित व्यक्ति के बीच एक संविदा माना जाएगा।

3. उपलब्ध विकल्प:

I. अनुवृद्धि हितलाभ:

इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर निम्नांकित पाँच वैकल्पिक अनुवृद्धियाँ उपलब्ध हैं। हालाँकि, पॉलिसीधारक द्वारा एलआईसी के दुर्घटनात्मक मृत्यु एवं विकलांगता अनुवृद्धि हितलाभ या एलआईसी के दुर्घटना अनुवृद्धि हितलाभ के बीच बदलाव करने का विकल्प चुना जा सकता है और/या शेष तीन अनुवृद्धियाँ निम्नानुसार पात्रता के अधीन होंगी।

क) एलआईसी की दुर्घटनात्मक मृत्यु एवं विकलांगता अनुवृद्धि (UIN: 512B209V02)

यह अनुवृद्धि एक प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर किसी भी समय चुनी जा सकती है, बशर्ते मूल योजना और साथ ही साथ अनुवृद्धि की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, लेकिन उस पॉलिसी वर्षगाँठ से पहले हो, जिस पर बीमित व्यक्ति का निकटतम जन्मदिन 65 वर्ष हो। यदि इस अनुवृद्धि को चुना जाता है, तो दुर्घटनात्मक मृत्यु होने की स्थिति में, दुर्घटनात्मक अनुवृद्धि हितलाभ बीमाकृत राशि, मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु लाभ के साथ एकमुश्त राशि के रूप में देय होगी। दुर्घटना के कारण उत्पन्न दुर्घटनात्मक विकलांगता होने (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के भीतर) की स्थिति में, दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि के बराबर राशि का भुगतान 10 वर्ष की अवधि में विस्तारित समान मासिक किस्तों के रूप में किया जाएगा

और दुर्घटना लाभ बीमा राशि के लिए भावी प्रीमियमों, और साथ ही मूल पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमा राशि के हिस्से के लिए प्रीमियमों, जो कि दुर्घटना लाभ बीमा राशि के बराबर है, को माफ कर दिया जाएगा। नाबालिगों के जीवन पर पॉलिसी के अंतर्गत यह अनुवृद्धि विशिष्ट अनुरोध की प्राप्ति पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद वाली पॉलिसी वर्षगाँठ से उपलब्ध होगी।

ख) एलआईसी की दुर्घटना अनुवृद्धि (UIN:512B203V03)

यह अनुवृद्धि एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर किसी भी समय चुनी जा सकती है, बशर्ते मूल योजना और साथ ही साथ अनुवृद्धि की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, लेकिन उस पॉलिसी वर्षगाँठ से पहले हो, जिस पर बीमित व्यक्ति का निकटतम जन्मदिन 65 वर्ष हो। इस अनुवृद्धि के अंतर्गत लाभ केवल बीमा–सुरक्षा प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान ही उपलब्ध रहेगा। यदि इस अनुवृद्धि को चुना जाता है, तो दुर्घटनात्मक मृत्यु होने की स्थिति में, दुर्घटनात्मक अनुवृद्धि हितलाभ बीमा राशि, मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु लाभ के साथ एकमुश्त राशि के रूप में देय होगी।

ग) एलआईसी की न्यू टर्म एश्योरेन्स अनुवृद्धि (UIN: 512B210V01)

यह अनुवृद्धि केवल पॉलिसी के प्रारंभ पर ही उपलब्ध है। इस अनुवृद्धि के अंतर्गत लाभ बीमा–सुरक्षा पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगा। यदि इस अनुवृद्धि को चुना जाता है, तो पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर टर्म एश्योरेन्स अनुवृद्धि बीमाकृत राशि के बराबर एक राशि देय होगी।

घ) एलआईसी की नई गंभीर बीमारी लाभ अनुवृद्धि (UIN: 512A212V02)

यह अनुवृद्धि केवल पॉलिसी के प्रारंभ पर ही उपलब्ध है। इस अनुवृद्धि के अंतर्गत बीमा–सुरक्षा पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगी। यदि इस अनुवृद्धि को चुना जाता है, तो इस अनुवृद्धि के अंतर्गत बीमा–रक्षित निर्दिष्ट 15 गंभीर बीमारियों में से किसी एक के प्रथम निदान पर गंभीर बीमारी बीमाकृत राशि देय होगी।

ई) एलआईसी की प्रीमियम माफी अनुवृद्धि (UIN: 512B204V03)

एक प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत, यह अनुवृद्धि पॉलिसी के प्रस्तावक के जीवन पर, पॉलिसी वर्षगाँठ के साथ लेकिन मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर किसी भी समय चुनी जा सकती है, बशर्ते मूल पॉलिसी की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि और अनुवृद्धि कम से कम पाँच वर्ष पर हो। इसके अलावा, इस पॉलिसी के अंतर्गत इस अनुवृद्धि की अनुमति केवल तभी होगी, जब यह अनुवृद्धि चुनने के समय पर जीवन बीमित व्यक्ति नाबालिग हो। इस अनुवृद्धि की अवधि यह अनुवृद्धि चुनने के समय पर मूल योजना की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि या (यह अनुवृद्धि चुनने के समय पर अवयस्क जीवन बीमित की 25 ऋण आयु), जो भी कम हो, होगी। अगर अनुवृद्धि अवधि और प्रस्तावक की आयु मिलाकर 70 वर्ष से अधिक है, तो इस अनुवृद्धि की अनुमति नहीं होगी।

यदि यह अनुवृद्धि चुनी गई है, तो प्रस्तावक की मृत्यु होने पर, मृत्यु होने की तिथि के बाद से लेकर अनुवृद्धि की अवधि समाप्त होने तक मूल पॉलिसी के अंतर्गत आने वाली प्रीमियमों का भुगतान माफ हो जाएगा। हालाँकि ऐसी स्थिति में यदि मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि अनुवृद्धि अवधि से अधिक होती है, तो इस प्रीमियम माफी अनुवृद्धि के समापन की तिथि से मूल पॉलिसी के अंतर्गत बकाया सभी आगामी प्रीमियमें बीमित व्यक्ति द्वारा देय होंगी। ऐसी प्रीमियमों का भुगतान न होने पर पॉलिसी प्रदत्त बन जाएगी।

एलआईसी के दुर्घटना अनुवृद्धि या एलआईसी के दुर्घटनात्मक मृत्यु एवं विकलांगता अनुवृद्धि एवं एलआईसी के नए गंभीर बीमारी अनुवृद्धि के लिए प्रीमियम मूल योजना

के अंतर्गत प्रीमियमों के 100% से अधिक नहीं होगी और अन्य सभी जीवन बीमा अनुवृद्धियों के अंतर्गत कुल प्रीमियमें मूल योजना के अंतर्गत प्रीमियमों के 30% से अधिक नहीं होगी।

उपरोक्त प्रत्येक अनुवृद्धि बीमा राशि मूल योजना के अंतर्गत मूल बीमा राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

उपरोक्त अनुवृद्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, अनुवृद्धि विवरणिका देखें या एलआईसी के निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

पीओएसपी–एलआई के माध्यम से पॉलिसियाँ लेने की स्थिति में कोई अनुवृद्धि उपलब्ध नहीं होगी।

II. निपटान विकल्प (परिपक्वता लाभ के लिए):

परिपक्वता लाभ के प्रति निपटान विकल्प किसी चालू या प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत एकमुश्त राशि लेने के बजाय चुनी गई 5 या 10 या 15 वर्ष की अवधि में किस्तों में परिपक्वता लाभ प्राप्त करने के लिए एक विकल्प है। इस विकल्प का उपयोग बीमित व्यक्ति की नाबलिगी के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण या आंशिक परिपक्वता लाभों के लिए किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (यानी निवल दावा राशि) या तो निश्चित मूल्य में, या फिर कुल देय दावा प्राप्तियों के एक प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

इन किस्तों का भुगतान चयन अनुसार वार्षिक या छमाही या तिमाही या मासिक अंतरालों पर अग्रिम में होगा, जो निम्नानुसार भुगतान की विभिन्न विधियों के लिए न्यूनतम किस्त राशि के अधीन है:

किस्त भुगतान की विधि	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	Rs. 5,000/-
तिमाही	Rs. 15,000/-
छमाही	Rs. 25,000/-
वार्षिक	Rs. 50,000/-

यदि शुद्ध दावा राशि पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक राशि से कम होती है, तो दावा प्राप्तियों का भुगतान केवल एकमुश्त राशि के रूप में ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल की 12 माह की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, किस्त राशि पर पहुँचने हेतु लागू ब्याज दर वार्षिक लागू दर होगी, जो 10 वर्ष G-Sec दर प्रति वर्ष अर्द्ध–वार्षिक चक्रवृद्धि में से 200 आधार पॉइंट घटाकर मिली दर के बराबर होगी; जहाँ 10 वर्ष G-Sec दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यापारिक दिवस के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2020 से 30 अप्रैल, 2021 तक शुरू होने वाली 12 माह की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना हेतु लागू ब्याज दर 4.71% प्रतिवर्ष लागू होगी।

परिपक्वता लाभ के प्रति निपटान विकल्प का उपयोग करने के लिए, पॉलिसी धारक/बीमित व्यक्ति को परिपक्वता की नियत तिथि से कम से कम 3 माह पहले किस्तों में शुद्ध दावा राशि के भुगतान हेतु इस विकल्प का उपयोग करना होगा।

परिपक्वता लाभ के प्रति निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतानों के प्रारंभ होने के बाद:

क. अगर कोई जीवन बीमित व्यक्ति, जिसने परिपक्वता लाभ के प्रति निपटान विकल्प का उपयोग किया है, इस विकल्प को वापस करना चाहता है और बकाया किस्तों को रूपांतरित करना चाहता है, तो बीमित व्यक्ति से लिखित अनुरोध मिलने पर ऐसा करने की अनुमति होगी। ऐसे मामले में, निम्नांकित में से जो भी अधिक होगी, उस राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

- सभी भावी बकाया किस्तों का रियायती मूल्य; या
- (वह मूल राशि जिसके लिए निपटान विकल्प का उपयोग किया गया था) में से (पहले से भुगतान की जा चुकी कुल किस्तों की राशि) घटाकर।

ख. वह लागू ब्याज दर जिसका उपयोग भावी किस्त भुगतानों की छूट देने हेतु किया जाएगा, वह वार्षिक लागू दर होगी, जो 10 वर्ष G-Sec दर प्रति वर्ष अर्द्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि से अधिक नहीं होगी; जहाँ 10 वर्ष G-Sec दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यापारिक दिवस के अनुसार होगी। तदनुसार, 1 मई, 2020 से 30 अप्रैल, 2021 तक शुरू होने वाली 12 माह की अवधि के लिए, भावी किस्तों की छूट के लिए उपयोग होने वाली अधिकतम लागू ब्याज दर 6.71% प्रतिवर्ष लागू होगी।

ग) परिपक्वता की तिथि के बाद, बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, जिसने निपटान विकल्प का उपयोग किया था, जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए विकल्प के अनुसार नामांकित व्यक्ति को बकाया किस्तों का भुगतान जारी रहेगा और नामांकित व्यक्ति को इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

यह विकल्प पीओएसपी-एलआई के माध्यम से पॉलिसी खरीदने की स्थिति में लागू नहीं है।

III. मृत्यु लाभ किस्तों में लेने का विकल्प:

यह किसी चालू या प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत एकमुश्त राशि लेने के बजाय चुनी गई 5 या 10 या 15 वर्ष की अवधि में किस्तों में मृत्यु लाभ प्राप्त करने के लिए एक विकल्प है। इस विकल्प का उपयोग बीमित व्यक्ति की नाबालिगी के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान; पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण या आंशिक मृत्यु लाभों के लिए किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (यानी निवल दावा राशि) या तो निश्चित मूल्य में, या फिर कुल देय दावा प्राप्तियों के एक प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

इन किस्तों का भुगतान चयन अनुसार वार्षिक या छमाही या तिमाही या मासिक अंतरालों पर अग्रिम में होगा, जो निम्नानुसार भुगतान की विभिन्न विधियों के लिए न्यूनतम किस्त राशि के अधीन है:

किस्त भुगतान का प्रकार	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	₹ 5,000/-
तिमाही	₹ 15,000/-
छमाही	₹ 25,000/-
वार्षिक	₹ 50,000/-

यदि शुद्ध दावा राशि पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक राशि से कम होती है, तो दावा प्राप्तियों का भुगतान केवल एकमुश्त राशि के रूप में ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल की 12 माह की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त राशि पर पहुँचने हेतु लागू ब्याज दर वार्षिक लागू दर होगी, जो 10 वर्ष G-Sec दर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्द्ध-वार्षिक में से 200 आधार पॉइंट घटाकर मिली दर के बराबर होगी; जहाँ 10 वर्ष G-Sec दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यापारिक दिवस के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2020 से 30 अप्रैल, 2021 तक शुरू होने वाली 12 माह की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना हेतु लागू ब्याज दर 4.71% प्रतिवर्ष लागू होगी।

किस्तों में मृत्यु लाभ प्राप्त करने हेतु विकल्प का उपयोग करने के लिए, बीमित व्यक्ति की नाबालिगी के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा या वयस्क होने पर बीमित व्यक्ति द्वारा इस विकल्प का उपयोग अपने जीवनकाल के दौरान पॉलिसी के प्रचलित रहते हुए, किस्त भुगतान की अवधि एवं शुद्ध दावा राशि, जिसके लिए उस विकल्प का उपयोग करना है, का उल्लेख करते हुए किया जा सकता है। तब मृत्यु दावा राशि का भुगतान पॉलिसीधारक/ बीमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए विकल्प के अनुसार नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा और नामांकित व्यक्ति को इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

यह विकल्प पीओएसपी-एलआई के माध्यम से खरीदी गई पॉलिसी के मामले में भी लागू है।

4. प्रीमियमों का भुगतान:

प्रीमियमों का भुगतान नियमित रूप से वार्षिक, छमाही, तिमाही या मासिक अंतरालों (मासिक प्रीमियम केवल एनएसीएच के माध्यम से) पर या वेतन कटौतियों के माध्यम से किया जा सकता है।

5. अनुग्रह अवधि:

भुगतान न हुई पहली प्रीमियम की तिथि से मासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 15 दिन तथा वार्षिक या छमाही या तिमाही प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिन की एक अनुग्रह अवधि होगी। इस अवधि के दौरान, इस पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, यह पॉलिसी बिना किसी रुकावट के, जोखिम बीमा-सुरक्षा के साथ चालू मानी जाएगी। यदि अनुग्रह अवधि के दिन पूरे होने से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

उपरोक्त अनुग्रह अवधि उन अनुवृद्धि प्रीमियमों के लिए भी लागू होगी, जो मूल पॉलिसी की प्रीमियम के साथ देय हैं।

6. नमूने के लिए उदाहरणार्थ प्रीमियम:

मानक जीवन के लिए रु. 10 लाख की मूल बीमाकृत राशि के लिए नमूने की उदाहरणार्थ वार्षिक प्रीमियम निम्नानुसार है:

(राशि रु. में)

आयु (निकटतम जन्मदिन)	पॉलिसी अवधि (प्रीमियम भुगतान अवधि)		
	15(10)	18(13)	20(15)
20	1,13,217	87,541	77,153
30	1,13,609	88,031	77,790
40	1,15,667	90,481	80,534
50	1,22,135	97,488	88,178

उपरोक्त प्रीमियम में कर शामिल नहीं हैं।

7. छूटें:

विधि छूट	
विधि	छूट
वार्षिक विधि	सारणीबद्ध प्रीमियम का 2%
छमाही विधि	सारणीबद्ध प्रीमियम का 1%
तिमाही, मासिक (एनएसीएच) एवं वेतन कटौती	शून्य

उच्च बीमाकृत राशि छूट	
मूल बीमाकृत राशि (बीएसए)	प्रति रु. 1000 बीएसए सारणीबद्ध प्रीमियम पर छूट (रु.)
1, 00,000 से 2, 75,000	शून्य
3, 00,000 से 4, 75,000	4.00
5,00,000 से 9 ,75,000	5.00
10,00,000 और उससे अधिक	6.00

अभिकर्ता/मध्यस्थ की किसी सहायता के बिना ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत पूर्ण होने वाले प्रस्ताव निम्नांकित दरों पर सारणीबद्ध प्रीमियम पर छूट के लिए पात्र होंगे:

ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत छूट	
प्रीमियम भुगतान अवधि	ऑनलाइन विक्रय (छूट की दर)
10 से 14 वर्ष	7.5%
15 वर्ष	10%

8. पुनर्चलन:

यदि प्रीमियमों का भुगतान अनुग्रह अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो इससे पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। किसी कालातीत पॉलिसी को पुनर्चलित करवाया जा सकता है, लेकिन भुगतान न की गई पहली प्रीमियम की तिथि से 5 क्रमागत वर्षों की अवधि के भीतर, लेकिन परिपक्वता की तिथि से पहले। यह पुनर्चलन समय-समय पर निगम द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली दरों पर ब्याज (चक्रवृद्धि अर्द्ध-वार्षिक) के साथ प्रीमियम(मों) की समस्त बकाया राशियों के भुगतान पर एवं बीमित व्यक्ति और/या प्रस्तावक (यदि एलआईसी के प्रीमियम छूट लाभ अनुवृद्धि को चुना गया हो) की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि होने पर लागू होगा, और यह संतुष्टि उन जानकारियों, प्रलेखों और प्रतिवेदनों के आधार पर होगी, जो पहले से ही उपलब्ध हैं और इस संबंध में ऐसी किन्हीं अतिरिक्त जानकारियों के आधार पर होगी, जो पुनर्चलन के समय पर निगम की बीमांकन नीति के अनुसार आवश्यक हो सकती हैं और जिन्हें पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा प्रदान किया जाता है।

बंद हो चुकी पॉलिसी के पुनर्चलन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, परिवर्तित शर्तों पर स्वीकार करने, या फिर इसे अस्वीकार करने का अधिकार निगम द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। किसी बंद हो चुकी पॉलिसी का पुनर्चलन केवल तभी लागू होगा, जब इसे निगम द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकृत कर दिया जाता है और उसके द्वारा पुनर्चलन की पावती जारी कर दी जाती है।

1 मई से 30 अप्रैल की प्रत्येक 12 माह की अवधि के लिए इस योजना के अंतर्गत पुनर्चलन के लिए लागू ब्याज की दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यापारिक दिवस के अनुसार 10 वर्ष G-Sec दर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्द्ध-वार्षिक में 300 आधार पॉइंट जोड़कर उससे अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2020 से 30 अप्रैल, 2021 तक शुरू होने वाली 12 माह की अवधि के लिए लागू ब्याज दर 9.5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि अर्द्ध-वार्षिक होगी।

अनुवृद्धियों, यदि उन्हें चुना गया हो, का पुनर्चलन मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही माना जाएगा, अलग से नहीं।

9. पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन - लाइफ इंश्योरेन्स (पीओएसपी-एलआई) के माध्यम से क्रय योजना:

यह योजना पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन्स-लाइफ इंश्योरेन्स (पीओएसपी-एलआई) से खरीदी जा सकती है। पात्रता शर्तें एवं अन्य नियम व शर्तें, आईआरडीएआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, परिपत्रों एवं विनियमों आदि, जो पीओएस योजनाओं एवं पीओएसपी-एलआई के लिए लागू हों, के अनुसार होंगे।

वर्तमान में, योजना के मानदंड/पात्रता शर्तें निम्नानुसार हैं:

प्रवेश पर अधिकतम आयु : 65 वर्ष (आयु निकटतम जन्मदिन) ऋण पॉलिसी अवधि

प्रवेश पर न्यूनतम आयु : 65 वर्ष (आयु निकटतम जन्मदिन)

एक एकल जीवन पर अधिकतम बीमाकृत राशि सीमा : रु. 25 लाख

हालाँकि, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिकतम अनुमत बीमाकृत राशि निगम की बीमांकन नीति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत अचिकित्सीय सीमाओं के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

पीओएसपी-एलआई के माध्यम से ली जाने वाली पॉलिसियों के मामले में कोई अनुवृद्धि उपलब्ध नहीं होगी।

पीओएसपी-एलआई के माध्यम से ली जाने वाली पॉलिसियों के मामले में निपटान विकल्प (परिपक्वता लाभ के लिए) लागू नहीं है।

10. प्रदत्त मूल्य:

यदि इस पॉलिसी के संबंध में दो पूर्ण वर्षों से कम प्रीमियम का भुगतान किया गया है, और किसी भी आगामी प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी के अंतर्गत सभी लाभ भुगतान न की गई पहली प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद स्थगित हो जाएँगे और कुछ भी देय नहीं होगा।

यदि कम से कम दो पूर्ण वर्षों के प्रीमियम का भुगतान किया गया है और किसी भी अनुवर्ती प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी पूर्णत: शून्य नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी अवधि के अंत तक प्रदत्त पॉलिसी के रूप में कायम रहेगी।

प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत **मृत्यु पर बीमाकृत राशि ''मृत्यु प्रदत्त बीमाकृत राशि''** नामक इस प्रकार की राशि तक कम कर दी जाएगी और ''मृत्यु पर बीमाकृत राशि'' (भुगतान की गई प्रीमियमों की संख्या/प्रीमियम की भुगतान अवधि के दौरान देय प्रीमियमों की संख्या) के बराबर होगी। मृत्यु प्रदत्त बीमाकृत राशि के अतिरिक्त, भुगतान न हुई प्रथम प्रीमियम की तिथि तक संचित गारंटीड अनुवृद्धियाँ भी मृत्यु पर देय होंगी।

प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत **परिपक्वता पर बीमाकृत राशि ''परिपक्वता प्रदत्त बीमाकृत राशि''** नामक इस प्रकार की राशि तक कम कर दी जाएगी और ''परिपक्वता पर बीमाकृत राशि'' (भुगतान की गई प्रीमियमों की संख्या/प्रीमियम की भुगतान अवधि के दौरान देय प्रीमियमों की संख्या) के बराबर होगी। परिपक्वता प्रदत्त बीमाकृत राशि के अतिरिक्त, भुगतान न हुई प्रथम प्रीमियम की तिथि तक संचित गारंटीड अनुवृद्धियाँ भी परिपक्वता पर देय होंगी।

एक प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत, संचित गारंटीड उस अवधि के लिए देय होगा, जिसके लिए पॉलिसी प्रभावी थी, यानी उस अवधि के लिए, जिसके लिए सभी प्रीमियमों का भुगतान किया गया था। अत:, एक प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत, उस पॉलिसी वर्ष के लिए गारंटीड अनुवृद्धियाँ, जिसमें अंतिम प्रीमियम प्राप्त हुई है, को उस वर्ष के लिए प्राप्त प्रीमियम के अनुपात में आनुपातिक आधार पर जोड़ा जाएगा।

11. अभ्यर्पण:

पॉलिसी किसी भी समय अभ्यर्पित की सकती है, बशर्ते कि दो पूर्ण वर्षों की प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो। पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, निगम द्वारा गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान किया जाएगा, जो गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य और विशेष अभ्यर्पण मूल्य के बराबर या उससे अधिक होगा।

विशेष अभ्यर्पण मूल्य समीक्षा–योग्य है और उसका निर्धारण समय–समय पर निगम द्वारा आईआरडीएआई के पूर्व–अनुमोदन के अधीन होकर किया जाता है।

पॉलिसी अवधि के दौरान देय गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य भुगतान की गई कुल प्रीमियमों (इसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम, अनुवृद्धि(भों) के लिए प्रीमियमें, यदि इन्हें चुना गया हो, और कर शामिल नहीं हैं) के बराबर गुणित भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के लिए लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक एवं इसमें संचित गारंटीड अनुवृद्धियाँ गुणित संचित गारंटीड अनुवृद्धियों पर लागू जीएसवी कारक को जोड़कर उसका योगफल होगा। प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त ये गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक पॉलिसी अवधि और उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर होंगे, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है और वे नीचे दिए गए हैं:

भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के लिए लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक						
	पॉलिसी अवधि →					
पॉलिसी वर्ष	15	16	17	18	19	20
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
3	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	54.29%	53.75%	53.33%	53.00%	52.73%	52.50%
9	58.57%	57.50%	56.67%	56.00%	55.45%	55.00%
10	62.86%	61.25%	60.00%	59.00%	58.18%	57.50%
11	67.14%	65.00%	63.33%	62.00%	60.91%	60.00%
12	71.43%	68.75%	66.67%	65.00%	63.64%	62.50%
13	75.71%	72.50%	70.00%	68.00%	66.36%	65.00%
14	90.00%	76.25%	73.33%	71.00%	69.09%	67.50%
15	90.00%	90.00%	76.67%	74.00%	71.82%	70.00%
16		90.00%	90.00%	77.00%	74.55%	72.50%
17			90.00%	90.00%	77.27%	75.00%
18				90.00%	90.00%	77.50%
19					90.00%	90.00%
20						90.00%

संचित गारंटीड अनुवृद्धियों के लिए लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक						
	पॉलिसी अवधि →					
पॉलिसी वर्ष	15	16	17	18	19	20
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%
4	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%
5	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%
6	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%

7	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%
8	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%
9	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%
10	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%
11	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%
12	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%
13	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%
14	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%
15	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%
16		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%
17			35.00%	30.00%	27.06%	25.05%
18				35.00%	30.00%	27.06%
19					35.00%	30.00%
20						35.00%

अनुवृद्धियों, यदि कोई हों, पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

12. पॉलिसी ऋण:

इस पॉलिसी के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कम से कम दो पूर्ण वर्षों की प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो और वह समय–समय पर निगम द्वारा निर्दिष्ट नियमों व शर्तों के अधीन है।

इस पॉलिसी के अंतर्गत अनुमत अधिकतम ऋण, अभ्यर्पण मूल्य के एक प्रतिशत के रूप में, निम्नानुसार होगा:

- प्रभावी पॉलिसियों के लिए – 90% तक।
- प्रदत्त पॉलिसियों के लिए – 80% तक।

पॉलिसी ऋण के लिए भारित की जाने वाली ब्याज दर एवं जैसी वह ऋण की संपूर्ण अवधि के लिए लागू हो, का निर्धारण सावधिक अंतरालों पर होगा। 1 मई से 30 अप्रैल की अवधि में 12 माह की प्रत्येक अवधि के लिए इस उत्पाद के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले ऋण हेतु पूर्ण ऋण अवधि के लिए लागू ऋण ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यापारिक दिनांक के अनुसार 10 वर्ष G-Sec दर प्रति वर्ष अर्द्ध–वार्षिक में चक्रवृद्धि 300 आधार पॉइंट जोड़कर मिली दर उससे अधिक नहीं होगी। 1 मई 2020 से शुरू होकर 30 अप्रैल 2021 तक की 12 माह की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए लागू ब्याज दर, ऋण की संपूर्ण अवधि के लिए 9.5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि अर्द्धवार्षिक होगी।

किसी भी ऋण संबंधी बकाया राशि की वसूली ब्याज सहित निर्गम के समय पर दावा प्राप्तियों से की जाएगी।

13. कर:

भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक भारतीय कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर आरोपित वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर कानूनों के अनुसार होंगे और कर की दर समय–समय पर लागू अनुसार होगी।

प्रीमियमों (मूल पॉलिसी एवं अनुवृद्धियों, यदि कोई हो, के लिए) जिनमें अतिरिक्त प्रीमियमें, यदि कोई हों, शामिल हैं, पर प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि पॉलिसीधारक द्वारा देय है, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियमों के अलावा अलग से संग्रहित किया जाएगा। भुगतान की गई कर की राशि पर इस योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

आयकर लाभों/भुगतान की गई प्रीमियम(मों) पर निहितार्थों एवं इस योजना के अंतर्गत देय लाभों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

14. निशुल्क अवलोकन अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के ''नियमों और शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है, तो आपत्तियों का कारण बताते हुए पॉलिसी बॉण्ड की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों (ऑनलाइन विक्रय के मामले में 30 दिनों) के भीतर पॉलिसी निगम को वापस लौटाई जा सकती है। इसकी प्राप्ति पर, निगम द्वारा पॉलिसी निरस्त कर दी जाएगी और बीमा सुरक्षा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल योजना और अनुवृद्धियों के लिए, यदि कोई हो), चिकित्सीय परीक्षण शुल्कों, विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो और स्टाम्प शुल्कों की कटौती करने के बाद जमा की गई प्रीमियम की राशि वापस लौटा दी जाएगी।

15. आत्महत्या अपवर्जन:

i) यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह समझदार हो या फिर विक्षिप्त) जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो निगम इस पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान की गई प्रीमियमों के 80% को छोड़कर अन्य किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा, जिसमें कोई कर, अतिरिक्त प्रीमियम एवं टर्म एश्योरेन्स अनुवृद्धि के अलावा अन्य अनुवृद्धि प्रीमियमें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो। यह अनुच्छेद उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जब प्रवेश पर बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से कम होती है।

ii) यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह समझदार हो या फिर विक्षिप्त) पुनर्चलन की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के 80% (कोई कर, अतिरिक्त प्रीमियम एवं टर्म एश्योरेन्स अनुवृद्धि के अलावा अन्य अनुवृद्धि प्रीमियमें, यदि कोई हों, को छोड़कर) या मृत्यु की तिथि पर उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक होगा, देय होगा। निगम द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत अन्य किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह अनुच्छेद इन स्थितियों में लागू नहीं होगा:

- पुनर्चलन के समय पर बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से कम होती है; या
- पॉलिसी प्रदत्त मूल्य अर्जित किए बिना कालातीत होती है और ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।

16. प्रतीक्षा अवधि:

अगर यह योजना पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन्स – लाइफ इंश्योरेन्स (पीओएसपी–एलआई) के माध्यम से खरीदी जाती है तो इस मामले में, जोखिम शुरू होने की तिथि से प्रथम 90 दिनों के भीतर जीवन बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर भुगतान की गई कुल प्रीमियमें निगम द्वारा वापस कर दी जाएँगी, बशर्ते मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण न हुई हो। हालाँकि, प्रतीक्षा अवधि के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु होने के मामले में **''मृत्यु पर बीमाकृत राशि''** देय होगी। यदि प्रवेश पर बीमित की आयु 8 वर्ष से कम हो तो ऐसी स्थिति में यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा।

लाभ का उदाहरण:

आयु	**35**	जीएसटी दर (प्रथम वर्ष):	4.50%
पॉलिसी अवधि	**20**	जीएसटी दर (द्वितीय वर्ष से):	2.25%
प्रीमियम भुगतान अवधि	**15**	मूल बीमाकृत राशि रु.	1000000
किस्त प्रीमियम की राशि	**78,770**	मृत्यु पर बीमाकृत राशि रु.	1250000
प्रीमियम के भुगतान की विधि	**वार्षिक**	गारंटीड अनुवृद्धियाँ प्रति रु. 1000 प्रति वर्ष	50

पॉलिसी वर्ष (वर्ष का समापन)	वार्षिक* प्रीमियम (संचित)	गारंटीड लाभ				
		उत्तरजीविता लाभ	गारंटीड अनुवृद्धियाँ	परिपक्वता लाभ	मृत्यु लाभ	न्यूनतम** गारंटीड अभ्यर्पण लाभ
1	78770	0	50000	0	1300000	0
2	157540	0	100000	0	1350000	47262
3	236310	0	150000	0	1400000	107039
4	315080	0	200000	0	1450000	190700
5	393850	0	250000	0	1500000	239500
6	472620	0	300000	0	1550000	289050
7	551390	0	350000	0	1600000	337225
8	630160	0	400000	0	1650000	401474
9	708930	0	450000	0	1700000	470237
10	787700	0	500000	0	1750000	543728
11	866470	0	550000	0	1800000	622182
12	945240	0	600000	0	1850000	705855
13	1024010	0	650000	0	1900000	795152
14	1102780	0	700000	0	1950000	890327
15	1181550	0	750000	0	2000000	992010
16	1181550	0	800000	0	2050000	1043664
17	1181550	0	850000	0	2100000	1099088

18	1181550	0	900000	0	2150000	1159241
19	1181550	0	950000	0	2200000	1348395
20	1181550	0	1000000	2000000	2250000	1413395

टिप्पणियाँ:

1. इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक कुछ स्तर के परिमाणन के साथ विभिन्न परिस्थितियों में लाभों के प्रवाह एवं उत्पाद की विशेषताओं के गुण जान सके।

2. यह उदाहरण एक मानक (चिकित्सीय, जीवनशैली एवं व्यवसाय के दृष्टिकोण से) जीवन के लिए लागू है और जहाँ कोई अनुवृद्धि नहीं चुना गया है।

3. किसी भी स्थिति में किसी भी समय कुल मृत्यु लाभ, भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के 105% से कम नहीं होगा (जीएसटी, अतिरिक्त प्रीमियम और अनुवृद्धि प्रीमियमों, यदि कोई हो, को छोड़कर)।

*वार्षिक प्रीमियम में बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियमों पर आवृत्ति लोडिंग, अनुवृद्धियों के लिए चुकाई गई प्रीमियमें, यदि कोई हों, और वस्तु एवं सेवा कर शामिल नहीं हैं। इस उदाहरण में उपयोग किए गए शब्दों के स्पष्टीकरण के लिए विक्रय सामग्री देखें।

**हालाँकि विशेष अभ्यर्पण मूल्य देय हो सकता है, यदि यह पॉलिसीधारक के लिए अधिक हितकर हो। विशेष अभ्यर्पण मूल्य केवल विनियामक से पूर्व-अनुमोदन मिलने के बाद ही समय-समय पर पुनरीक्षण के अधीन है।

बीमा अधिनियम, 1938 का अनुच्छेद 45

बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 के प्रावधान समय-समय पर संशोधन अनुसार होंगे। इस प्रावधान का सरलीकृत संस्करण निम्नानुसार है:

बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 के अनुसार पॉलिसी से संबंधित सवाल न उठाए जाने वाले प्रावधान निम्नानुसार हैं:

1. निम्नांकित से 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी विषय में कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा:

   क. पॉलिसी के जारी होने की तिथि, या

   ख. जोखिम शुरू होने की तिथि, या

   ग. पॉलिसी के पुनरुज्जीवन की तिथि, या

   घ. पॉलिसी के लिए अनुवृद्धि की तिथि
   जो भी बाद में हो

2. धोखाधड़ी के आधार पर, जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर निम्नांकित से 3 वर्ष के भीतर सवाल उठाया जा सकता है:

   क. पॉलिसी के जारी होने की तिथि, या

   ख. जोखिम शुरू होने की तिथि, या

   ग. पॉलिसी के पुनरुज्जीवन की तिथि, या

   घ. पॉलिसी के लिए अनुवृद्धि की तिथि
   जो भी बाद में हो

इसके लिए, बीमाकर्ता को उस आधार एवं सामग्रियों का उल्लेख करते हुए, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित होता है, बीमित को या बीमित के वैधानिक प्रतिनिधि या नामिती या समनुदेशिती, जैसा भी लागू हो, को लिखित में सूचना देनी चाहिए।

3. धोखाधड़ी का आशय निम्नांकित में से कोई भी कृत्य, जो बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा, बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु उकसाने की मंशा से किया जाता है:

   क. सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

   ख. उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

   ग. धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

   घ. ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

4. केवल मौन रहना तब तक धोखाधड़ी नहीं है, जब तक मामले की परिस्थितियों के आधार पर, बोलने से मौन रहना बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का कर्त्तव्य है या मौन रहना अपने आपमें बोलने के समकक्ष हो।

5. किसी भी बीमाकर्ता द्वारा किसी जीवन बीमा पॉलिसी का परित्याग धोखाधड़ी के आधार पर नहीं किया जाएगा, यदि बीमित व्यक्ति / लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि गलत–बयानी उसकी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य थी और उस तथ्य को दबाकर रखने की कोई जान–बूझकर मंशा नहीं थी या उस महत्वपूर्ण तथ्य की ऐसी गलत–बयानी या उसे दबाकर रखना बीमाकर्ता की जानकारी में था। खंडन करने का कार्यभार जीवित होने पर पॉलिसीधारक का, या फिर लाभार्थी का है।

6. जीवन बीमा पॉलिसी पर इस आधार पर 3 वर्ष के भीतर सवाल उठाया जा सकता है, कि बीमित व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को दबाना या उसकी गलत–बयानी उस प्रस्ताव में या अन्य दस्तावेज में गलत रूप से की गई थी, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या अनुवृद्धि जारी किया गया था। इसके लिए, बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या नामित या समनुदेशिती को, जैसा लागू हो, लिखित में सूचना दी जानी चाहिए, जिसमें उस आधार या सामग्रियों का उल्लेख हो, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी का परित्याग करने का निर्णय लिया गया है।

7. यदि परित्याग गलत–बयानी के आधार पर किया जाए और धोखाधड़ी के आधार पर नहीं, तो ऐसी स्थिति में, परित्याग की तिथि तक पॉलिसी पर संग्रहित प्रीमियम का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या नामित या समनुदेशिती को परित्याग की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

8. तथ्य को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक वह बीमाकर्ता द्वारा लिए गए जोखिम पर प्रत्यक्ष भार न डालता हो। यह दर्शाने का कर्त्तव्य बीमाकर्ता का है, कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य की जानकारी होती, तो बीमित व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती।

9. बीमाकर्ता द्वारा किसी भी समय आयु का प्रमाण माँगा जा सकता है, यदि वह ऐसा करने का पात्र है और किसी भी पॉलिसी पर केवल इसलिए सवाल उठाया जाना नहीं समझा जाएगा, क्योंकि पॉलिसी की शर्तें जीवन बीमित व्यक्ति की आयु के परवर्ती प्रमाण पर समायोजित हैं। इसलिए, यह अनुच्छेद आयु पर सवाल उठाए जाने या परवर्ती रूप से जमा करवाए गए आयु के प्रमाण पर आधारित समायोजन किए जाने के लिए लागू नहीं होगा।

(अस्वीकरण: यह बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 की व्यापक सूची नहीं है और केवल सामान्य जानकारी के लिए तैयार किया गया सरलीकृत संस्करण है। पॉलिसी धारकों को पूर्ण और सटीक विवरण के लिए बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 को देखने की सलाह दी जाती है।)

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का अनुच्छेद 41):

1. किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो :

2 इस अनुच्छेद के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति अर्थदंड का भागी होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

यह उत्पाद विवरणिका इस योजना की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही बताती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय पर संपर्क करें।

कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें

आईआरडीएआई बीमा पॉलिसियाँ बेचने, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों का निवेश करने जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं है। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएँ।

पंजीकृत कार्यालय:
भारतीय जीवन बीमा निगम
केन्द्रीय कार्यालय, योगक्षेम,
जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400021.
वेबसाइट: www.licindia.in
पंजीकरण संख्या: 512